115

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 639–दो/2009 – विरूद्व आदेश दिनांक 23–9–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 130/2003–04 निगरानी

1– ज्ञान सिंह 2– भगवान सिंह

पुत्रगण मोहन सिंह निवासीगण

ग्राम सिनोर तहसील गोहद

जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 130/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–9–2008 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम सिनौर में नायब तहसीलदार गोहद ने प्रकरण कमांक 4/2001–02 अ–19 में पारित आदेश दिनांक

22-11-2001 से ज्ञान सिंह पुत्र मोहन सिंह, श्रीमती उषादेवी पत्नि ज्ञान सिंह को भूमि सर्वे कमांक 285 रकबा 1.60 हैक्टर तथा भगवान सिंह पुत्र मोहन सिंह को सर्वे कमांक 180/2 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि का आवन्टन किया गया। भूमि आवन्टन में अनियमितताओं वावत् शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, गोहद ने नायव तहसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 4/2001-02 अ-19 की जॉच की एंव जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर भिण्ड को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 14/2002-03 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया गया तथा आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर भिण्ड ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 13-10-2003 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का बन्टन आदेश दिनांक 22-11-2001 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रकरण में बन्टन की पात्रता/अपात्रता की जॉच कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुन: आदेश पारित किया जाय। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 130/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार गोहद ने प्रकरण कमांक 4/2001-02 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2001 से आवेदकगण को भूमि का आवन्टन किया है दोनों आवेटिति सगे भाई हैं। आवेदक कमांक-2 अविवाहित होकर उसके कोई संतान आदि भी नहीं है इसके वाद भी नायव तहसीलदार ने दोनों आवेदकों को प्रथक प्रथक परिवार मानकर भूमि का आवन्टन किया है जिसे

नियमानुसार नहीं माना जा सकता। जॉच के दौरान दोनों ही आवेदकों का एक ही राशन कार्ड पाया गया है अर्थात एक ही परिवार के सदस्य होना प्रमाणित पाये गये हैं राशन कार्ड के अनुसार परिवार की सदस्य संख्या 10 है। ग्राम में अन्य अनुसूचित जाति एंव जनजाति के सदस्य भूमिहीन श्रेणी के हैं अथवा नहीं हैं - नायव तहसीलदार ने बन्टन के पूर्व ग्राम पंचायत से अथवा पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। कलेक्टर भिण्ड ने आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया है। कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण कमांक 14/2002-03 स्वमेव निगरानी के अवलोकन से स्थिति यह है कि उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2003 में भूमि बन्टन में अनियमिततायें पाने से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 22-11-2001 को निरस्त कर आवेदकगण को भूमि आवन्टन की पात्रता है अथवा नहीं है - जॉच करने एंव पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 130/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-2008 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 13-10-03 एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनॉक 23-9-08 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 130/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-2008 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर